

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 442 सन 2019

अनवान :-

1. मनीष पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सतपाल पुत्र हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोनिका पुत्री सतपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मैनेजर पी.एन.बी. बैंक शाखा परलीका तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 139/16 की कुल 7.0840 हैक एवं रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 111/104 की कुल 6.8310 हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का वाद भूमि में बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लियो है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

(2)

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता इन्द्राज वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बटवारा वाद की मद संख्या 4 के अनुसार किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 139/16 की कुल 7.0840 हैक् एवं रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 111/104 की कुल 6.8310 हैक् जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा इन्द्राज वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का वाद भूमि में बराबर का हक हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लियो है उसी के अनुसार भूमि काशत करते आ रहे है परन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 139/16 की कुल 7.0840 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 111/104 की कुल 6.8310 हैक् जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग रोही मौजा चक 17, 18 एनटीआर के अनुसार वाद भूमि इन्द्राज पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा इन्द्राज पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा इन्द्राज पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज

3

हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 ने आपसी सहमति से बाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार काश्त करते है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,1,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 139/136 के प0न0 360/429 (35) किला न0 6 ता 25/5.0600 हैव प0न0 359/429(36) किला न0 6,7,14 ता 17,24,25 कुल 2.0240 हैव जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 111/104 के प0न0 353/422(53) किला न0 16,17,24,25/1.0120 हैव, प0न0 354/422(59) किला न0 16 ता 25/2.450 हैव प0न0 354/423(56) किला न0 1 ता 10 /2.3290 हैव प0न0 353/423(60) किला न0 4 ता 6/0.7090, मु0न0 71/12 की 0.1510 हैव गै0मु0रास्ता मु0न0 71/31 की 0.1760 हैव गै0मु0 रास्ता कुल 6.8310 हैव भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनीष पुत्र सतपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सतपाल पुत्र हरीशचन्द्र जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोनिका पुत्री सतपाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मैनेजर पी.एन.बी. बैंक शाखा परलीका तहसील नोहर।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 442 सन 2019 निर्णय दिनांक- 16/3/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 17 एनटीआर के खाता संख्या 139/136 के प0न0 360/429 (35) किला न0 6 ता 25/5.0600हैक् प0न0 359/429(36) किला न0 6 ,7 ,14 ता 17 , 24 ,25 कुल 2.0240हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 111/104 के प0न0 353/422(53) किला न0 16 ,17 ,24 ,25/1.0120हैक् , प0न0 354/422(59) किला न0 16 ता 25/2.450हैक् प0न0 354/423(56) किला न0 1 ता 10 /2.3290हैक् प0न0 353/423(60) किला न0 4 ता 6/0.7090 मु0न0 71/12 की 0.1510हैक् गै0मु0रास्ता मु0न0 71/31 की 0.1760हैक् गै0मु0 रास्ता कुल 6.8310हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)